न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

मणिकांत पाण्डे तनय श्रीराम पाण्डे
निवासी छत्रशाल मार्ग छतरपुर तह. छतरपुर
जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ......अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 132/अ–6/15–16 पारित आदेश दिनांक 12/8/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम बरकौंहा स्थित भूमि खसरा क्र 856/1 एंव 856/2 भूमि श्रीमति पार्वती यादव पत्नि अच्छेलाल यादव निवासी ग्राम गठेवरा तह. व जिला छतरपुर एंव हरसेवक यादव तनय काशीप्रसाद यादव निवासी ग्राम गठेवरा तह. व जिला छतरपुर के भूमिस्वामी हक व स्वत्व की भूमि थी जिसके 1/2 हिस्से अर्थात् खसरा क्र 856/1 में से रकवा 0.921.5 हे एंव 856/2 में से रकवा 0.921.5 हे को उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1/1/16 के माध्यम से आवेदक को निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्रदाय किया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार छतरपुर द्वारा बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि.डी. 3231-पीजी/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.9.16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित उनके तर्क सुने। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 132/अ–6/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 12/08/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि स्थित मौजा बरकौंहा खसरा क्र 856/1, 856/2 रकवा क्रमशः 0.915 एंव 0.915 हे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1/1/2016 से क्रय की थी तथा जिसके आधार पर उसके द्वारा भूमि पर नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत रूप से निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रेता पार्वती यादव पत्नि अच्छेलाल यादव एंव हरसेवक तनय काशीप्रसाद यादव के भूमिस्वामी स्वामित्व की पैत्रिक भूमि है जिसको उनके द्वारा निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर आवेदक को विक्रीत की गयी है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि राजस्व अभिलेख को दुरूस्त रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की है जिस कारण से विक्रेता एंव अन्य किसी हितबद्व व्यक्ति को कोई अपत्ति ना होने के आधार पर तहसीलदार को नामांतरण आदेश आवेदक के पक्ष में पारित करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि वैघानिक तरीके से सहखातेदारों को भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई है जिससे खातेदार को उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय कर हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदक के मौखिक तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का आवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि पार्वती यादव एंव हरसेवक यादव के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जो कि राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर दर्ज है जिसको उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1/1/16 के माध्यम से आवेदक को विक्रय किया गया है। हरसेवक एंव श्रीमति पार्वती यादव द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदक को भूमि विक्रय किए जाने की स्वीकृति एंव आवेदक के पक्ष में नामांतरण किए जाने पर किसी प्रकार की कोई अपत्ति ना होना लेख किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1958—59 में म.प्र.शासन मद में दर्ज थी जबकि संहिता के प्रभावशील होने के पश्चात् संहिता की धारा 158(2) एंव 190 के अंतर्गत सभी कब्जेदार को भूमिस्वामी मान्य किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों के अधीन तहसीलदार द्वारा आवेदक का नामांतरण किए जाने का आवेदन पत्र मात्र वर्ष 1958—59 की स्थिति के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/8/16 निरस्त किया जाता है परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अभिलेख में आवेदक के पक्ष में नामांतरण किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	